रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072025-265146
CG-DL-E-31072025-265146

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2025/श्रावण 9, 1947
No. 473] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2025/SHRAVANA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 516(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती और सेवाशर्त) नियमावली, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती और सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती और सेवाशर्त) नियमावली, 2015 के नियम 7 में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"यह भी प्रावधान है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से ठीक पूर्व उस पद पर आसीन है, उस तिथि से उस पद पर नहीं रहेगा और वे अपने कार्यकाल अवधि की समयपूर्व समाप्ति के लिए तीन महीने के वेतन और भत्ते से अधिक मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।"

[फा. सं. क्यू -22016/3/2021-एएआर]

बालसुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 30 मार्च, 2015 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 236 (अ), दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

स्पष्टीकरण ज्ञापन: सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की और सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2025 को वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 106 के अनुसरण में दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा रहा है, जिसमें सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती और सेवाशर्त) नियमावली, 2015 के नियम 7 के तहत दूसरे प्रावधान के बाद एक प्रावधान डालने का प्रस्ताव है। इसलिए, यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2025

G.S.R. 516(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Settlement Commission (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 2015, namely: -

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Settlement Commission (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2025.

2. In the Customs and Central Excise Settlement Commission (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 2015, in rule 7, after the second proviso, the following Proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that any person appointed as Chairman, Vice-Chairman or Member holding office as such immediately before the date to be notified by the Central Government in this behalf, shall on and from such date, cease to hold such office, and they shall be entitled to claim compensation not exceeding three months' pay and allowances for the premature termination of term of their office.".

[F. No. Q-22016/3/2021-AAR]

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th March, 2015 *vide* notification number G.S.R. 236(E), dated the 27th March, 2015 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 829 (E), dated the 23 August, 2016.

Explanatory Memorandum: The Customs and Central Excise Settlement Commission (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2025 is being given the retrospective effect from the 1st April, 2025 in pursuance of section 106 of the Finance Act, 2025 proposing to insert a proviso after the second proviso in rule 7 of the Customs and Central Excise Settlement Commission (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 2015. Therefore, it is certified that no person interest will be adversely affected by this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.07.31 21:22:56 +05'30'